रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91

REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2, 1991/फाल्गुन 11, 1912

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2, 1991/PHALGUNA 11, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) के अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम, (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

योजना आयोग

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1991

सा.का.नि. 124 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) अन्वेषक श्रेणी-2 (समूह ग) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उनका संबंध अन्वेषक श्रेणी-2 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में आर्थिक अन्वेषक श्रेणी-2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) (आर्थिक अन्वेषक, श्रेणी 2) भर्ती, नियम 1990 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1991

सा.का.नि. 137--राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी सिविल निर्माण स्कन्ध (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी सिविल निर्माण स्कंध (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी सिविल निर्माण स्कन्ध (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची में,-

(क) अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत्)/अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत्) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने स्तम्भ 12 में "प्रोन्नति" शीर्ष के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--"ऐसे कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत्)/संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत्), जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत् इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य है"।

(ख) अधीक्षक संकर्म सर्वेक्षक (सिविल)/अधीक्षक इंजीनियर (सिविल) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने स्तम्भ 12 में "प्रोन्नति" शीर्ष के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--ऐसे कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)/संकर्म सर्वेक्षक (सिविल)/इंजीनियर अधिकारी (सिविल) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य है।

[संख्या 310/25/90-बी(डी)]
पी. एम. राजू, अवर सचिव

टिप्पण :

मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3 में सा.का.नि. संख्या 370 तारीख 30 अप्रैल, 1988 द्वारा प्रकाशित की गई थी, मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ए-11012/2/88-सी. डब्ल्यू. 1/बी (डी) तारीख 7 अप्रैल, 1989 द्वारा संशोधित की गई थी और मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 310/25/90-बी(डी) तारीख 11 जनवरी, 1991 द्वारा शुद्धिपत्र जारी किया गया था।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th February, 1991

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio, Civil Construction Wing (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1988, namely :—

1. (i) These rules may be called the All India Radio, Civil Construction, Wing (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1991.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio, Civil Construction Wing (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1988,—

(a) against Serial No. 2 relating to the post of Superintending Surveyor of Works (Electrical)|Superintending Engineer (Electrical), in column 12, for the existing entry under the heading "Promotion", the following shall be substituted, namely :—

"Executive Engineer (Electrical)|Surveyor of Works (Electircal) with 5 years' regular service in the grade and possessing degree in Electrical Engineering from a recognised University or equivalent".

(b) against Serial No. 3 relating to the post of Superintending Surveyor of Works (Civil)|Superintending Engineer (Civil), in column 12, for the existing entry under the heading "Promotion", the following shall be substituted, namely :—

"Executive Engineer (Civil)|Surveyor of Works (Civil)|Engineer Officer (Civil) with 5 years' regular service in the grade and possessing degree in Civil Engineering from recognised University of equivalent'.'.

[No. 31025/90-B(D)]
P. M. RAJU, Under Secy.

NOTE.—The Principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, vide G.S.R. No. 370 dated 30-4-83, amended vide Ministry's notification No. A-11012|88|CW.I|B(D) dated 7-4-89 and corrigendum issued vide Ministry's notification No 310|25|80-B(D) dated 11-1-91.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1991

सा.का.नि. 138--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ग्रुप "सी" अराजपत्रित पदों) भर्ती नियम, 1968 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ग्रुप "सी" अराजपत्रित पद (भर्ती) संशोधित) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सं. 50 पर सहायक स्टोरकीपर के पद के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ग्रुप "सी" अराजपत्रित पदों) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची के लिए निम्नलिखित को स्थापित किया जाए अर्थात् :--